(130

RTI MATTER
BY SPEED POST

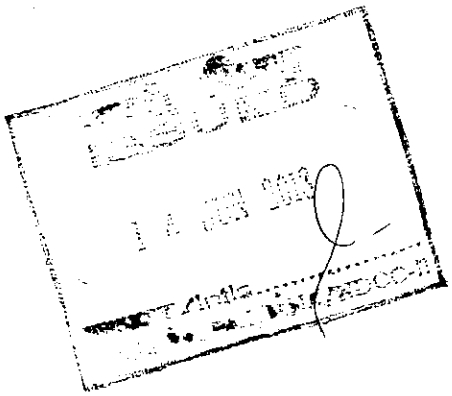

No. 11017/5/2013-BM.III
Government of India
Ministry of Home Affairs
(BM.III Section)
****

5th Floor,NDCC-II Building Jai Singh Road,
New Delhi, Dated the 12th June, 2013

To

Shri Mustak,
A 1263 J.J. Colony,
Bawana,
Delhi-110039.

Subject:- Information sought by Shri Mustak, under the Right to information Act,2005. - regarding

Reference:- Your RTI Application dated Nil received this Division on 07.06. 2013 from Foreigners VI, MHA NDCC-II Building New Delhi.

Sir,

With reference to your RTI Application dated as quoted above, I am directed to inform that as far as the sections under my charge are concerned, the information may please be treated as NIL.

2. An appeal, if any, in the matter lies within a month to Shri Deepak Kumar, Joint Secretary (BM), Ministry of Home Affairs, NDCC- II Building New Delhi-110001.

(Rais Ahmad)
Director(BM.I)/CPIO

Copy to:

Shri P.V. Sivaraman, Director (Foreigners) & CPIO, MHA, NDCC-II Building, New Delhi, for information and record.

14/6

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 2[illegible].5.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री .... का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री ......मुस्ताक...... के दिनांक ...... /2013 के आवेदन (इस मंत्रालय में .... से अंतरण द्वारा दिनांक: 20 / 5 /2013 को प्राप्त) को ......विदेशी...... प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 21...5../2013 को रसीद सं. ......24636...... के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

संलग्नक : यथोपरि

संजय मिश्रा

(संजय मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

निदेशक (विदेशी)

गृह मंत्रालय

एन. डी. सी. सी. - II

जय सिंह रोड नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री ......मुस्ताक......

डी 1263, जे. जे. कालोनी

बवाना, दिल्ली-39

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
जी. ए. आर. 6 / G. A. R. 6
(नियम 22(1) देखें) (See Rule 22(i)
रसीद / RECEIPT

14636

दिनांक
Dated 21/5/2013

ी/सुश्री
d From Shri/Smt./Km. सी रतनम

के दिनांक 20
ख्या/संदर्भ संख्या के साथ
ter No./Reference No. .... Dated .... 20.........

क/ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या
s Cheque/Draft/Indian Postal Order No. 11F 055549

ं रूपये की नकद धनराशि
n of Rupees by Cash ....

ो अधिकार अधिनियम, 2005 के शुल्क हेतु प्राप्त की।
ount of fee under Right to Information Act 2005.

आद्यक्षर / Initials

/ Rs. 10/-

पदनाम / Designation

3. Telephone No. if any ....

APPLICATION FORM FOR SUPPLY OF INFORMATION UNDER RIGHT TO INFORMATION ACT. 2005

1. Name of Applicant सुखराम

2. Address E 1263
   जे जे कालोनी बवाना
   दिल्ली 39

3. Telephone No. if any 9802565090

4. Department from which Information is required M.H.A - New Delhi -

5. Cash Receipt No.

6. Details of information required अवैध कॉलोनाइज़रों के खिलाफ [illegible] करा हेतु प्रार्थना-पत्र

Date:

(SIGNATURE OF APPLICANT)

Note:

1. Separate Application is required for each needed information.

2. Rs. 25 is required per application.

प्रतिष्ठा में,

आदरणीय गृहमंत्री जी
भारत सरकार, नई दिल्ली

महोदय,

इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी विभागों द्वारा अवैध विदेशी बंगलादेशी घुसपैठियों को भारतीय दस्तावेज के साथ डी.डी.ए. द्वारा प्लाट तक मुहैया कराने जाने के बारे में चन्द प्रश्न ।

प्र.1 डी.डी.ए. स्लम प्लाट नं.ई-2556, ई-2560, ई-2783, ई-278, ई-1777, बी-1129, सी-112, ई-1130, डी-113, ई-1131, ई-1134, ई-1137, ई-2656, ई-1874, ई-1160, ई-1109, ई-1110, ई-1116, सी-796, सी-439, ई-2282, ई-2149, ई-1943, ई-2409, ई-1947, ई-2552, ई-3016, ई-1194, डी-979, डी-872, एफ-142, डी-775, बी-482, सी-325, ई-1787, ई-1874, सी-625, ई-3846, ई-1612, ई-3744

पत्र में दर्शाया गये प्लाट नम्बर चिन्हित किये गये बंगलादेशी नागरिकों को दिया गया है, कृपया बतायें कि इन लोगों पर इतना मेहरबान क्यों है यह विभाग ?

प्लाट नं.ई-1943 में रह रहा परिवार की सदस्या फरीदा पत्नी आलमगीर को उत्तर जिला पुलिस 2010 से लेकर 2011 तक चार बार वापिस बंगलादेश भेज चुकी है तथा फरीदा के वोटर आई कार्ड नं. NEJ-1054152 बवाना क्षेत्र में इसी का भाई शाहिद पुत्र आ० कादिर को भी बी.डी.सेल पुलिस 11.7.2000 को वापिस उसके देश भेज चुकी है और दिल्ली में डिपोट के बाद उसी का वोटर आई कार्ड नं. है NEJ1054516

प्र.2 हीना उर्फ हवा पत्नी जनी, पुत्री मुजीवर खां ~~NEJ-1054516~~ है की बेटी आ० रहीम इसे मध्य जिला पुलिस द्वारा डिपोट किया गया है लेकिन कंझावला कार्यालय से बना इसका वोटर आई कार्ड नं. NEJ-10546408 प्लाट नं.2143 से बना ।

प्र.3 बाबुल पुत्र शेर खां वापिस बंगलादेश भेजा गया नार्थ पुलिस द्वारा दिनांक 5.2.2004 को और डी.डी.ए. द्वारा प्लाट दिया गया है, जिसका नं.2282 है और कंझावला कार्यालय द्वारा दिया वोटर आई कार्ड नं. NEJ-0551077 है ।

प्र.4 बाबुल पुत्र रत्न नार्थ पुलिस द्वारा 29.4.1994 को वापिस भेजा गया है और इसी का बड़ा भाई आबूल पुत्र रतन को डी.डी.ए. द्वारा प्लाट अलाटमेंट किया गया है -जिसका नं.2149 है । और कंझावला कार्यालय द्वारा बाबुल पुत्र रतन को दिया गया वोटर आई कार्ड भी है।

.....2

प्र.5 बाबुल अली पुत्र मो० आदम अली इसे भी नार्थ जिला पुलिस ने परिवार के साथ बंगलादेश भेज चुकी है लेकिन डी.डी.ए. द्वारा प्लाट इसे भी दिया गया है जिसका नं.ई-1874 है ।

प्र.6 एस.डी.एम. कंझावला भी उक्त परिवार को वोटर आई कार्ड देने में कंजूसी नहीं किया है।

1. बाबुल अली पुत्र आदम अली वोटर आई कार्ड नं.NEJ-0540104
2. शहनाज पत्नी बाबुल अली, वोटर आई कार्ड नं.NEJ-0540112
3. सएदुल पुत्र बाबुल अली, वोटर आई कार्ड नं.NEJ--=0514012
4. मुफीजुल पुत्र बाबुल वोटर आई कार्ड नं. NEJ-0540138 है

प्र.7 सोहराब पुत्र सत्तार उत्तरी जिला पुलिस द्वारा वापस बंगलादेश भेजा गया है, दिनांक 19.8.1994 तथा 2004 में जिसका प्लाट नं.सी-है ।796

प्र.1 आदरणीय प्रश्न नं.1 में दर्शाया प्लाट नं. जो डी.डी.ए. और स्लम विभाग द्वारा दिये गये हैं, और विधानसभा क्षेत्र बवाना के कार्लिय द्वारा इन बंगलादेशी घुसपैठियों को दिया गया वोटर पहलचान पत्र एवं राशन कार्ड कार्यालय ने भी राशन कार्ड बनाकर वितरित किये हैं, पुलिस के रिकार्ड के मुताबिक इन लोगों को पकड़कर डिपोट किया गया है तो ये 100 प्रतिशत विदेशी नागरिक हैं तो कृपया बताने की कृपा करें कि यह सब विभाग दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करते हुए क्यों इन विदेशियों पर इतना मेहरबान हैं। क्या इन विभागों में बैठे अफसरान ने मोटी रकम खाई है या फिर ये सरकार या किसी मंत्री के कहने पर इन विदेशियों को भारतीय दस्तावेज और प्लाट अलाटमेंट कर दिये हैं, कृपया बताने की कृपा करें ।

प्र.2 बंगलादेश में बैठा आदमी और दिल्ली पुलिस द्वारा डिपोट कर दिया गया बंगलादेशियों को विधानसभा क्षेत्र बवाना में मतदाता सूची में नाम और पहचान पत्र बन जाता है और एस.डी.एम. कार्यालय बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि मेरे कार्यालय से किसी विदेशी नागरिक को वोटर आई कार्ड नहीं जारी किया गया है, ऐसा क्यों कहते है यह, कृपया जवाब दें ।

.3 बाहरी जिला वी.डी. सेल पुलिस 2007 से बंगलादेशियों का डिपोटेशन का काम करते 2001 तक कुल 90 बंगलादेशी पकड़कर ही उन्हें बंगलादेश भेज पाई है । जबकि इस समय सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक इन्हीं के कार्य क्षेत्र में चैन की नींद ले रहे हैं। यह लिखने की जरूरत नहीं है कि इन विदेशियों के साथ क्या हमारी पुलिस फोर्स भी सो गई है, या कुछ और बात है । कृपया बतायें ।

4 विदेशी पंजीकरण विभाग आई.एम.. सेल द्वारा घुसपैठियों को दिल्ली से भगाने का काम 1991 से शुरू किया गया और 2010 तक 42748 बंगलादेशियों को बाहर करने का आंकड़ा

मुहैया करा रहे हैं । इस कार्यालय में बैठा अफसरान भी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को नजर-अंदाज करते हुए कछुए की गति से चल रहे हैं, क्यों ? क्या यह समझ लिया जाये कि विदेशियों को बाहर करने का यह अभियान तकरीबन खत्म हो चुका है, कृपया जवाब दें।

प्र.5 हमारे देश के सीमा पर बैठा बी.एस.एफ. के जवान और विभिन्न विभागों में बैठे ये अफसरान के कारण विदेशी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चोट करता हुआ भारतीय दस्तावेज लेकर लैस हो रहे हैं और घुसपैठ का सिलसिला निरन्तर जारी है और संबंधित विभाग मात्र मूकदर्शक बनते हुए एक-दूसरे पर आरोप प्रतिरोप करते हैं । तो कृपया बताने का कष्ट करें कि इस बाबत कौन जिम्मेदार है, देश का सन्तरी या मंत्री या फिर प्रशासनिक अधिकारी ?

श्रीमान, कोई भी विभाग इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता । क्योंकि यह अपने देश का सवाल है, देश के लाखों मजदूरों के हक का सवाल है।

आपके जवाब की प्रतीक्षा में, कृपया जवाब हिन्दी भाषा में देने की कृपा करें ।

और अन्त में यही कहना चाहूंगा कि -

यू तो मंजिल के बहुत दूर तक चला
ये बात और कि तरूफ न हो सकी ।

दिनांक :

प्रार्थी -
Mushtak
A 1263 ...
(~~प्रार्थी/वक्ता~~)
...

R.1.7
मुश्ताक